कार्यालयः–प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नीमच जिला नीमच (म.प्र.)

::विविध आदेश::

क्रमांकः– 44 / लेखा / 2021 नीमच, दिनांक 09 / 05 / 2021

01– वर्तमान में नीमच जिला कोरोना वायरस (कोविड–19) के संक्रमण से अत्याधिक प्रभावित है। इसी तारतम्य में जिला अभिभाषक संघ नीमच, जावद व मनासा के अध्यक्ष से दूरभाष पर चर्चा की गयी है। आज की स्थिति में जिला न्यायालय नीमच में पदस्थ न्यायिक अधिकारीगण, कर्मचारीगण, अधिवक्तागण, अभियोजन अधिकारी, विचाराधीन बंदी कोरोना से संक्रमित होकर अभी ईलाजरत है एवं होम क्वारन्टाईन है तथा जिला दण्डाधिकारी नीमच के आदेश क्रमांक 626 / सां.लेख / 2021 नीमच, दिनांक 09 / 05 / 2021 के अनुसार नीमच जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा में 17.05.2021 प्रातः तक कोरोना कर्फ्यू घोषित किया गया है और यह निर्देषित किया गया है कि उक्त समय तक उक्त क्षेत्र में व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे और सामान्य आवागमन प्रतिबंधित रहेगा।

02– मध्यप्रदेश शासन का पत्र क्रमांक एफ–35–09 / 21 / दो / सी–2 दिनांक 07.04.2021 के परिप्रेक्ष्य में जिला मजिस्ट्रेट के आदेश क्रमांक 626 / सां.लेख / 2021 नीमच, दिनांक 09 / 05 / 2021 के द्वारा संपूर्ण जिले में धारा 144 के अंतर्गत कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए दिनांक 17.05.2021 के सुबह 06:00 बजे तक कोरोना कर्फ्यू घोषित किया गया है और इस दौरान बिना औचित्य के बाहर निकलने के लिए प्रतिबंधित किया गया है।

03– माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर मध्यप्रदेश के एसओपी क्रमांक ए / 113 दिनांक 15.01.2021 की कंडिका 17 में दिये गये दिशा निर्देश कि ऐसे स्थान जहां लॉकडाउन / शटडाउन / कोरोना कर्फ्यू घोषित किया गया है को छोडकर समस्त न्यायालय अपना न्यायिक कार्य विधि अनुसार संपादित करेंगे। जहां लॉकडाउन घोषित किया गया है वहां न्यायालयों की कार्यवाही स्थगित रहेगी तथा रजिस्ट्री के एसओपी दिनांक 20.04.2021 के द्वारा भी अतिरिक्त निर्देश दिये गये हैं।

04– जिला मजिस्ट्रेट नीमच द्वारा आदेश क्रमांक 626 / सां.लेख / 2021 नीमच, दिनांक 09 / 05 / 2021 द्वारा दिनांक 10.05.2021 से दिनांक 17.05.2021 तक कोरोना कर्फ्यू घोषित किया गया है। अतः जिला मुख्यालय नीमच / जावद / मनासा / रामपुरा में दिनांक 10.05.2021 से दिनांक 14.05.2021 तक अकार्य दिवस घोषित किया जाता है। (परिवार न्यायालय व किशोर न्यायबोर्ड भी शामिल हैं।)

05– इस दौरान अत्यावश्यक प्रकृति (जमानत, सुपुर्दगीनामा, धारा 164 दंप्रसं के कथन, रिमांड, अंतिम प्रतिवेदन, अस्थायी निषेधाज्ञा पत्र एवं अन्य आवश्यक प्रकृति के सिविल एवं आपराधिक प्रकरण, जो न्यायालय के मत में त्वरित सुनवायी योग्य हों) के मामलों की सुनवाई दोपहर पश्चात् 03:00 से 05:00 बजे के मध्य केवल वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से की जावेगी। आवश्यक कार्य निष्पादित कर रहे न्यायाधीशगण अपवादित स्थिति (वी.सी. से सुनवायी न होने की स्थिति) में कोविड–19 के दिशा–निर्देशों के अधीन भौतिक सुनवाई कर सकेंगे।

06– सत्र न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत होने वाले जमानत आवेदन / अन्य अत्यावश्यक प्रकृति के आवेदन वर्चुअल माध्यम से आवश्यक कार्य निष्पादित करने वाले विशेष न्यायाधीश / अपर सत्र न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत होने पर उनके द्वारा ही निराकृत किये जायेंगे। रिमांड के समय जमानत आवेदन deemed Transfer माना जायेगा।

07– उक्त दिनांकों में अत्यावश्यक कार्य हेतु निम्नलिखित न्यायिक अधिकारीगण आवश्यकता अनुसार अपने अधीनस्थ पदस्थ स्टॉफ सहित वर्चुअल रूप से न्यायालय में 03:00 से 05:00 बजे के मध्य अत्यावश्यक कार्य संपादित करेंगेः–

Scanned with CamScanner

जिला मुख्यालय नीमच

01	श्री विवेक कुमार, विशेष न्यायाधीश, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश, नीमच	**10, 11 मई 2021**
02	श्री अजयसिंह ठाकुर, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नीमच	**12, 13 मई 2021**
01	श्री विवेकानंद त्रिवेदी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नीमच	13 मई 2021
02	श्रीमती सुषमा त्रिपाठी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नीमच	12 मई 2021
03	श्री महेश त्रिपाठी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नीमच	10, 11 मई 2021

तहसील मनासा

01	श्री धर्म कुमार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मनासा	10 मई से 13 मई 2021

तहसील जावद

01	श्री एन.एम. सिंह मीणा, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायाधीश जावद	**10 मई से 13 मई 2021**
02	श्री रूपसिंह कनेल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जावद	**10 मई से 13 मई 2021**

नोट–

(01)– वर्तमान में किशोर न्याय बोर्ड की प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट श्रीमती सुषमा त्रिपाठी, कोरोना से स्वस्थ हो चुकी हैं, इसलिए किशोर न्याय बोर्ड का कार्य उक्त दिनांकों और समय 03:00 बजे से 05:00 बजे तक किशोर न्याय बोर्ड की प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट श्रीमती सुषमा त्रिपाठी संपादित करेगी।

(02)– यह आदेश जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नीमच पर भी प्रभावशील रहेगा।

(03)– उक्त समयावधि में न्यायिक मजिस्ट्रेटगण की अति आवश्यक कार्य हेतु 03:00 बजे से 05:00 बजे की ड्यूटी लगायी गयी है उस दौरान नीमच न्यायालय पर उपस्थित प्रशिक्षु सिविल जज संपूर्ण अवधि में संबंधित मजिस्ट्रेट के साथ उपस्थित होकर उनकी सहायता रिमाण्ड कार्य में करेंगे।

(04)– श्री अखिलेश कुमार धाकड़, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मनासा के ग्रीष्मकालीन अवकाश पर होने से उनके न्यायालय का अत्यावश्यक कार्य नीमच मुख्यालय पर सम्पादित किया जायेगा ।

(05)– उपरोक्त वर्णित न्यायाधीश के उपलब्ध न होने/अस्वस्थ रहने की दशा में मुख्यालय पर उपस्थित वरिष्ठतम अति.जिला एवं सत्र न्यायाधीश/व्यवहार न्यायाधीश कार्य करेंगे। इसी प्रकार पूर्व में घोषित सार्वजनिक अवकाश की तिथियों में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रिमांड से संबंधित कार्य करेंगे।

08– केन्द्रीय पंजीयन हेतु निम्नानुसार प्रत्येक अकार्य दिवस में एक कर्मचारी उक्त समयावधि में उपस्थित होकर कार्य निष्पादित करेंगे:–

01	श्री अंशु सिंघल, तलवाना, सर्वर रूम	**10 व 11 मई 2021**
02	श्री ब्रजेश कुमार पांडे, फाईलिंग क्लर्क, सर्वर रूम	**12 व 13 मई 2021**

नोटः– अपवादित परिस्थितियों में ही न्यायालय के फाईलिंग काउंटर में आवेदनपत्र दोपहर पश्चात, 03:00 से 05:00 बजे के मध्य कोविड–19 के संबंध में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से पालन करते हुये प्रस्तुत किये जा सकेंगे। इन दोनो में से किसी एक के अस्वस्थ होने पर दूसरा कर्मचारी उक्त अवधि में कार्य सम्पादित करेगा।

09– श्री आनंद यादव, जुनियर सिस्टम एनालिस्ट एवं श्री दिलीप चिकाने, सिस्टम असिस्टेंट सर्वर रूम में प्रत्येक अकार्य दिवस में दोपहर 03:00 से 05:00 बजे तक अत्यावश्यक

Scanned with CamScanner

कार्य संपादित करेंगे। तहसील मुख्यालय जावद पर श्री प्रदीप राठौर, आई.टी.असिस्टेंट एवं मनासा में श्री राजेश मिश्रा, सहायक ग्रेड–3, उक्त कार्य का संचालन करेंगे ताकि कोई भी प्रकरण अदिनांकित न रहे।

10– इसके साथ ही उक्त निर्देशों के पालन में नीमच जिले के समस्त न्यायालयों में उक्त अवधि में नियत समस्त सिविल एवं आपराधिक प्रकरणों की सुनवायी हेतु निम्नानुसार आगामी तिथियों नियत की जाती है:–

दिनांक		आगामी दिनांक
10/05/2021	–	**27/07/2021**
11/05/2021	–	**28/07/2021**
12/05/2021	–	**29/07/2021**
13/05/2021	–	**30/07/2021**

11– उक्त अवधि में यथासंभव समस्त अर्जेंट प्रकृति के मामलों की सुनवाई वीडियो कान्फ्रेसिंग/अन्य वर्चुअल माध्यम से की जायेगी। पक्षकार/अधिवक्तागण जमानत व अन्य अत्यावश्यक प्रकृति के अन्य आवेदन पत्र ई–मेल के माध्यम से ईमेल आई.डी. dcourtnee-mp@nic.in पर भेज सकेंगे। ईमेल करने अथवा व्ही.सी. के माध्यम से सुनवाई में तकनीकी समस्या उत्पन्न होने पर श्री आनंद यादव, जूनियर सिस्टम एनालिस्ट (मो.नंबर–9721280870), श्री दिलीप चिकाने, सिस्टम असिस्टेंट (मो.नंबर–9584201487) पर संपर्क करे। तहसील जावद के लिये श्री प्रदीप राठौर, आई.टी.असिस्टेंट (मो.नंबर–9424034007) को ईमेल आई.डी. jawad@mphc.in पर एवं तहसील मनासा के लिए श्री राजेश मिश्रा, सहायक ग्रेड–3 (मो. नंबर–9752058882) ईमेल आई.डी. ecourts-mp4401@indiancourts.nic.in पर सुपुर्दगी व जमानत आवेदन पत्र भेजे जायेंगे और तकनीकी समस्या आने पर मोबाईल पर इनसे संपर्क कर सकेंगे।

12– माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय का नोटिफिकेशन क्रमांक डी/4763 दिनांक 11.01.2020 व एनओसी/372 दिनांक 15.01.2021 के द्वारा मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालयों में दिनांक 17.05.2021 से दिनांक 11.06.2021 तक ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित किया गया था, जिसे अधिसूचना क्रमांक ए/1277 दिनांक 28.04.2021 के द्वारा संशोधित कर दिनांक 10.05.2021 से दिनांक 04.06.2021 तक ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित किया गया है।

13– ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान अतिआवश्यक व्यवहार वाद की सुनवाई के लिए मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट अधिनियम की धारा 21 के अंतर्गत ग्रीष्मकालीन न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे और उनके द्वारा ही यह निराकृत किया जायेगा कि उक्त प्रकरण ग्रीष्मकालीन अवकाश में सुनवाई योग्य है या नही।

14– अपर सत्र न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत जमानत आवेदन के निराकरण हेतु मजिस्ट्रेट के न्यायालय के अभिलेख की आवश्यकता होने पर उक्त संबंध में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का यह दायित्व होगा कि वे उक्त अभिलेख उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। इस संबंध में मांग पत्र मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के माध्यम से जारी कर प्रति मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को प्रेषित की जायेगी।

15– **उपरोक्त दिनांकों के नियत प्रकरणों को सीआईएस में अपडेट करने हेतु प्रत्येक न्यायालय से एक–एक कर्मचारी (सिविल रीडर, क्रिमिनल रीडर, स्टेनो, साक्ष्य लेखक) उक्त क्रमानुसार उपस्थित होकर प्रकरणों को अपडेट करेंगे। किसी कर्मचारी के अस्वस्थ होने पर उसकी सूचना तत्काल अपने पीठासीन अधिकारी को दी जावेगी। पीठासीन अधिकारी अपने किसी अन्य कर्मचारी को सीआईएस में प्रकरण को अपडेट करने के संबंध में निर्देशित करेंगे। कर्मचारी के ग्रीष्मकालीन अवकाश पर**

Scanned with CamScanner

रहने पर उक्त कम में आने वाले कमवर्ती कर्मचारी द्वारा उक्त कार्य किया जायेगा।

16— जिन न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी कोरोना संक्रमित है उक्त न्यायालय के एक—एक कर्मचारी सीआईएस के अपडेशन के लिए आयेंगे और उनके न्यायालयों में लंबित प्रकरणों से संबंधित अति आवश्यक कार्य 03 बजे से 05 बजे तक उपस्थित होकर संपादित करेंगे। कर्मचारी के ग्रीष्मकालीन अवकाश पर रहने पर उक्त क्रम में आने वाले क्रमवर्ती कर्मचारी के द्वारा उक्त कार्य किया जायेगा।

17— समस्त अनुभाग के प्रभारी को निर्देशित किया जाता है कि इस ग्रीष्मकालीन अवकाश में अपने—अपने अनुभाग में कर्मचारियों को क्रम के अनुसार बुलाकर अनुभाग के कार्य संपादित कराये।

18— चूंकि कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण जिला मजिस्ट्रेट नीमच द्वारा सामान्य आवागमन प्रतिबंधित किया गया है, इसलिए उक्त आदेश के परिप्रेक्ष्य में यह निर्देशित किया जाता है कि ग्रीष्मकालीन अवकाश में बिना औचित्यपूर्ण कारण के मुख्यालय से बाहर जाने की अनुमति दी जाना कोविड—19 के संक्रमण के फैलाव के कारण संभव नही है। अतः परिवार से मिलने व धार्मिक आयोजन में शामिल होने के लिए ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान मुख्यालय से बाहर जाने की अनुमति नही है। ग्रीष्मकालीन अवकाश आपातकालीन स्थिति में बिना सूचना के निरस्त किया जा सकता है। अवकाश निरस्त होने पर अविलंब कर्तव्य पर उपस्थित होना होगा।

19— समस्त न्यायिक अधिकारीगण और कर्मचारीगण अपरिहार्य स्थिति को छोडकर मुख्यालय पर ही उपस्थित रहेंगे और अपने मोबाईल चालू रखेंगे और बिना पूर्व स्वीकृति के मुख्यालय से बाहर नहीं जायेंगे।

20— अति आवश्यक प्रकृति के आवेदनों को न्यायालय के आधिकारिक ई मेल आईडी से प्रस्तुत किये जायेंगे और समस्त आरक्षी केन्द्र भी केस डायरी को न्यायालय के आधिकारिक ईमेल आईडी पर प्रस्तुत करेंगे।

21— जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नीमच के सचिव को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने कार्यालय के कर्मचारी को क्रमवत बुलाकर कार्यालय के अति आवश्यक कार्य संपादित करावे और विधिक सेवा प्राधिकरण के कर्मचारियों भी निर्देशित किया जाता है कि वे अपने मोबाईल हमेशा चालू रखेंगे।

22— ऐसे अर्जेन्ट प्रकृति के सिविल एवं आपराधिक मामले जिनकी सुनवायी तत्काल किया जाना आवश्यक हो, ऐसे मामलों की सुनवायी संबंधित पीठासीन अधिकारी द्वारा रिमांड अवधि में की जायेगी।

23— उक्त अवधि में नियत **विचाराधीन बंदियों से संबंधित प्रकरण 15 दिवस की अवधि** के अंदर सुनवाई में लिये जायेंगे।

24— इन सबके संबंध में कोविड 19 के संबंध मे समय समय पर जारी किये गये दिशा निर्देशों का कडाई से पालन किया जायेगा। इस संबंध मे कार्यालय द्वारा पूर्व मे जारी किये गये अन्य दिशा निर्देश यथावत रहेंगे।

यह आदेश दिनांक 10/05/2021 से 13/05/2021 तक के लिए प्रभावशील रहेगा।

(हस्ताक्षर)
(हृदेश)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
नीमच जिला नीमच (म.प्र.)

Scanned with CamScanner

पृष्ठांकन क्र.   /लेखा/ 2021   नीमच, दिनांक 09/05/2021
प्रतिलिपिः—

01— श्रीमान रजिस्ट्रार जनरल, माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

02— श्रीमान प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर की ओर श्रीमान पोर्टफोलियो जज महोदय के समक्ष रखने के अनुरोध के साथ प्रेषित।

03— श्रीमान जिला न्यायाधीश, निरीक्षण, माननीय मध्य प्रदेश खंडपीठ इंदौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

04— कुटुंब न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नीमच एवं समस्त न्यायिक अधिकारीगण नीमच/मनासा/जावद की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

05— कलेक्टर, नीमच की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

06— पुलिस अधीक्षक, नीमच की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

07— समस्त प्रभारी अधिकारी, नजारत/कम्प्यूटर अनुभाग, नीमच

08— अध्यक्ष, अभिभाषक संघ, नीमच/मनासा/जावद/रामपुरा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

09— सी.एम.ओ., नीमच/जावद/मनासा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

10— सी.एच.एम.ओ., जिला चिकित्सालय नीमच की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

11— जेल अधीक्षक, जेल नीमच/जावद की ओर सूचनार्थ व पालनार्थ प्रेषित।

12— कार्यालय जनसंपर्क अधिकारी, नीमच की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

13— लोक अभियोजन कार्यालय नीमच की ओर सूचनार्थ व पालनार्थ प्रेषित।

14— लोक अभियोजक/अति. लोक अभियोजक नीमच/मनासा/जावद की ओर सूचनार्थ व पालनार्थ प्रेषित।

15— अध्यक्ष, न्यायिक कर्मचारी संघ, नीमच की ओर समस्त कर्मचारीगण को अवगत कराने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

16— प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय अनुभाग, जिला एवं सत्र न्यायालय, नीमच की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संबंधित आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जावे एवं सभी तृतीय/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को सूचित करना सुनिश्चित करें।

17— प्रस्तुतकार, जिला न्यायालय नीमच की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

18— सिस्टम आफिसर सर्वर रूम जिला न्यायालय नीमच की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि न्यायिक अधिकारीगण व कर्मचारीगण को ईमेल व व्हाट्सअप ग्रुप के माध्यम से सूचित किये जाने व जिला न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड किये जाने बाबत।

(हृदेश)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
नीमच जिला नीमच (म.प्र.)

Scanned with CamScanner